रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 1985/श्रावण 22, 1907

No. 392] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 1985/SRAVANA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1985

### अधिसूचना

का. आ. 606 (अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ इकहत्तरवां संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में,—

(क) प्रथम अनुसूची में,—

(i) शीर्षक "4. संचार मंत्रालय" और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4क. सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

(i) सांस्कृतिक विभाग,

(ii) कला विभाग";

(ii) शीर्षक "26क. संस्कृति विभाग" का लोप किया जाएगा;

(ख) द्वितीय अनुसूची में,—

(i) "संचार मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

क. सांस्कृति विभाग

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय; भारतीय संग्रहालय; भारतीय युद्ध संस्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया संस्मारक और भारतीय युद्ध संस्मारक तथा ऐसी ही अन्य संस्थाएं जिनका वित्तपोषण पूर्णतः या अंशतः भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद् ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की हैं।

2. पुरातत्व; पुरातत्वीय संग्रहालय।

3. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904।

4. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।

5. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय ।

6. स्वातंत्र्य आन्दोलन का इतिहास ।

6क. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक निधि ।

7. गांधी स्मृति समिति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।

8. पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (वहां तक जहां तक केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची-पत्र देने का संबंध है) ।

9. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।

10. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां ।

11. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; संग्रहालयों का साधारण विकास ।

12. राष्ट्रीय नव कला भवन, नई दिल्ली ।

13. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

14. निखात निधि; पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 और पुरावशेषों का निर्यात ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।

16. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।

17. दान और पूर्त संस्थाएं: इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

18. छात्रवृत्तियां, जिनके अंतर्गत वे छात्रवृत्तियां भी हैं जो इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्थापित की जाती हैं ।

19. आधुनिक भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए स्कीमें ।

20. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।

21. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।

22. भारतीय-विदेशी सांस्कृतिक सोसायटियों को अनुदान ।

23. विदेशों से सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां ।

24. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।

25. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।

26. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्ट मंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।

27. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिनके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं) ।

28. विदेशों को पुस्तकों की भेंट ।

29. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।

30. भारतीय वरेण्य ग्रन्थों का विदेशी भाषा में अनुवाद ।

31. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।

32. विदेशों में भारतीय कला वस्तुएं भेंट करना ।

33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

34. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।

35. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।

36. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दि और वार्षिकोत्सव मनाना ।

37. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित प्रकाशन, जानकारी और आंकड़े ।

38. इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरियंटलिस्ट्स ।

39. भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण ।

40. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।

40क. राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।

41. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।

42. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सब संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

ख—कला विभाग

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ।

2. राष्ट्रीय नाट्यशाला ।

(ii) शीर्षक "संस्कृति विभाग" और उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

---

[सं. 74/2/20/85-मंत्रि.]
एल. आर. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 13th August, 1985

## NOTIFICATION

S.O. 606(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and Seventy-first Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) in the First Schedule,—

(i) after the heading "4. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)" and the entries

thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"4A. Ministry of Cultural Affairs (Sanskritik Karya Mantralaya) :

(i) Department of Culture (Sanskriti Vibhag),

(ii) Department of Arts (Kala Vibhag)";

(ii) the heading "26A. Department of Culture (Sanskriti Vibhag)" shall be omitted;

(b) in the Second Schedule,—

(i) after the heading "Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)" and the entries thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"Ministry of Cultural Affairs (Sanskritik Karya Mantralaya)

A. Department of Culture (Sanskriti Vibhag)

1. National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial and the India War Memorial and any other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be an institution of national importance.

2. Archaeology, archaeological Museums.

3. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

4. Grants to Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

5. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

6. History of Freedom Movement.

6. A. Jalianwala Bagh National Memorial Trust.

7. Administration of Gandhi Smriti Samiti and Gandhi Darshan.

8. The delivery of Books (Public Libraries) Act and the Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).

9. Promotion of fine arts.

10. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.

11. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library Rampur; Delhi Public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hydrerabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits; General Development of Museums.

12. National Gallery of Modern Art, New Delhi.

13. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

14. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and Export of antiquities.

15. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

16. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the Scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochna aur Prasaran Mantralaya).

17. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

18. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

19. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of Modern Indian Languages.

20. Publication of rare manuscripts.

21. Grants in All-India Cultural Institutions.

22. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.

23. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.

24. Distribution of gift books received from abroad.

25. Appointment of Cultural Attaches abroad.

26. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

27. Individuals (including cultural lecturers), sponsored by Government for visits abroad.

28. Presentation of books to foreign countries.

29. Establishment of libraries abroad.

30. Translation of Indian classics into foreign languages.

31. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

32. Presentation of Indian art objects abroad.

33. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

34. Exchange of artists, dancers, musicians, etc under the Cultural Exchange Programmes.

35. Revision of Gazetteers.

36. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities.

37. Publication, information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.

38. International Congress of Orientalists.

39. Anthropological Survey of India.

40. National Archives of India.

40A. Rashtriya Manava Sangrahalaya.

41. National Council of Science Museums, Calcutta.

42. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. Department of Arts (Kala Vibhag)

1. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).

2. National Theatre.";

(ii) the heading "Department of Culture (Sanskriti Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH,
President

[No. 74/2/20/85-Cab.]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1985